

10.12.24
आज्ञा से
रीडर

आज्ञा से
रीडर

10.12.24

पत्रावली पेश हुई प्राप्ति कथितवत्ता अड्डपस्थिति।
आवाहन द्वारा कक-कुक पर इति वार आवाजे लगावरे
बावजूद इसके कोई उपस्थिति नहीं होने के जाहिर है
कि वह अपने प्रा.पत्र के प्रति गंभीर नहीं है। मूल बाद
भी जारी हो चुका है। जिससे जाहिर है कि जिले
इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहनी है।

अतः प्रार्थना पत्र इली.तर पर आदेश 9 नियम 5, 8
के तहत अदम्य तामील तडकील अदम्य फेकी में जारी
रखा जाता है। निर्णय अरे इजलास खुनाया अदमी
प्रकरण फौजल शुमाए छोड़ा नम्बर से कम है।



(रिपॉन्सिबल)
IAS
उपखण्ड अधिकारी
मिर्जा, उदयपुर